भारत सरकार

रेल मंत्रालय

रेल भर्ती बोर्ड

सीईएन-01/2019 (एनटीपीसी) के लिए परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अंतिम अनुस्मारक/ रिमाइंडर सूचना।

(डाटा जमा करने के लिए समय-सीमा दिनांक 07.09.2021 तक बढ़ाना)

(वह अभ्यर्थी ध्यान दें जिन्होंने सीबीटी-1 में भाग लिया है और उन्होंने अभी तक बैंक विवरण अद्यतन/प्रस्तुत नहीं किए है)

1.0 कृपया इस संबंध में आरआरबी की वेबसाइट में दिनांक 06.08.2021 को दी गई सूचना देखें। (प्रतिलिपि अगले पृष्ठ पर है।)

2.0 तदनुसार, सही बैंक खाता विवरण अपडेट करने के लिए एक अद्यतन बैंक खाता लिंक (https://rrbntpc.onlinereg.in/) आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 11.08.2021, 10:00 बजे से प्रदान किया गया है। बैंक विवरण जमा करने की अंतिम तिथि 31.08.2021 (23:59 बजे) थी।

3.0 बैंक विवरण जमा करने की अंतिम तिथि अब दिनांक 07.09.2021 (23:59 बजे) तक बढ़ा दी गई है। यह उन अभ्यर्थियों के लिए अंतिम अनुस्मारक/रिमाइंडर नोटिस है जो सीबीटी-1 में उपस्थित हुए हैं और अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट/सबमिट नहीं किया है।

4.0 वे सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने रिफंड के लिए बैंक डेटा जमा नहीं किया है, उन्हें एक बार फिर से 07.09.2021 तक उपरोक्त लिंक में बैंक विवरण जमा करने का परामर्श दिया जाता है। भविष्य में कोई और समय विस्तार या लिंक नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में भविष्य में आरआरबी द्वारा किसी भी पत्राचार पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

ध्यान दें: अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत गलत विवरण के कारण रिफंड की किसी भी विफलता के लिए आरआरबी जिम्मेदार नहीं होंगे और इस संबंध में आगे के पत्राचार पर विचार नहीं करेंगे।

अध्यक्ष

दिनांक: 31.08.2021

रेल भर्ती बोर्ड

सत्यमेव जयते	**भारत सरकार** **रेल मंत्रालय** **रेल भर्ती बोर्ड**	भारतीय रेल

<u>सूचना</u>

CEN-01/2019 के अभ्यर्थियों के ध्यानार्थ

गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियाँ (एनटीपीसी)

<u>परीक्षा शुल्क की वापसी - बैंक खाते के विवरण का अद्यतन / सुधार</u>

1.0 सीईएन 01/2019 के पैरा नंबर 7.0 के अनुसार, जो अभ्यर्थी दिनांक 28.12.2020 से 31.07.2021 तक 7 (सात) चरणों में आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-1) के प्रथम चरण में उपस्थित हुए थे, वे बैंकिंग / सेवा शुल्क की कटौती लागू होने के बाद परीक्षा शुल्क की वापसी प्राप्त करने के हकदार हैं (जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पूर्व एस.एम./पीडब्ल्यूबीडी/महिला/अल्पसंख्यक/ईबीसी/ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए 250/- रुपये और अन्य के लिए 400/- रुपये था)।

2.0 आवेदन दो वर्ष पूर्व प्राप्त हुए थे और इस अवधि के मध्य में अभ्यर्थियों के बैंक खाते के विवरण में बहुत सारे बदलाव हुए होंगे)। जाँच के दौरान यह भी देखा गया कि एक ही खाता संख्या से बड़ी मात्र में भुगतान किए गए थे, और कई अभ्यर्थियों के बैंक खाते का विवरण उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में विलय के पश्चात कुछ बैंकों के आईएफ़एससी(IFSC) कोड बदले गए होंगे। इसलिए, सही लाभार्थियों को परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अभ्यर्थियो के बैंक खाते की पुष्टि करना और नवीनतम विवरण लेना आवश्यक है।

3.0 तदनुसार, रेल भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर एक अपडेट बैंक खाता लिंक प्रदान किया जाएगा जो दिनांक 11.08.2021, 10:00 बजे से 31.08.2021, 23:59 बजे तक से लाइव होगा। इन अभ्यर्थियों (जो सीबीटी-1 में शामिल हुए थे) को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर उनके सही बैंक खाते का विवरण प्रदान करने के लिए एसएमएस और ईमेल भी भेजे जाएंगे। बैंक विवरण प्रस्तुत करते समय किसी भी परेशानी के मामले में कोई स्पष्टीकरण या सहायता प्राप्त करने के लिए एक सहायता मेनू प्रदान किया जाएगा।

4.0 सभी अभ्यर्थी जो सीबीटी -1 में उपस्थित हुए थे, उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण प्रदान करें। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया जाता है कि दर्ज किया गए बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड सही है और इसे प्रस्तुत करने से पहले बैंक खाते के विवरण की सावधानीपूर्वक जांच करें। यह ध्यान रखें कि जमा करने के बाद बैंक विवरण में संशोधन संभव नहीं होगा।

5.0 रेल भर्ती बोर्ड अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत गलत बैंक खाते के विवरण के कारण परीक्षा शुल्क की वापसी की विफलता, यदि होती है, तो इसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे और इस संबंध में आगे पत्राचार/ परिवर्तन पर विचार नहीं करेंगे।

<u>ध्यान दें:</u>

i. बैंक विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: **31 अगस्त, 2021 (23.59 बजे तक)**।

ii. परीक्षा शुल्क की वापसी (बैंक लेनदेन / सेवा शुल्क की कटौती के बाद) रेल भर्ती बोर्ड के रिकॉर्ड के साथ अभ्यर्थी के विवरण के सत्यापन के अधीन स्वीकार्य होगा।

iii. गलत/अपूर्ण और/या देर से किए गए दावों को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

iv. यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो कोई परीक्षा शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी।

v. <u>प्रति बैंक खाते में केवल एक परीक्षा शुल्क की अनुमति होगी।</u>

vi. ओटीपी (लॉगिन के लिए) के साथ बैंक खाता विवरण भरने का लिंक भी संबंधित उम्मीदवारों के पंजीकृत मोबाइल नंबरों और ई-मेल आईडी पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से साझा किया जाएगा।

अध्यक्ष

दिनांक: 06.08.2021 **रेल भर्ती बोर्ड**